


तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जाश हुए
09.05.2018	<p>राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 18/2015 हीरदान बनाम किशनीबाई अन्तर्गत धारा 229 आरटीएक्ट पत्रावली आज कैम्प कोर्ट लूणावासा खारा में पेश हुई। हमने पूनरावलोकन प्रार्थना पत्र का अधोपान जवाब प्रार्थना पत्र व अप्रार्थी अधिवक्ता के प्रार्थना पत्र दिनांक 06.02.2018 पर किया। यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के राजस्व वाद संख्या 145/2012 किशनीबाई बनाम हीरदान आदेश दिनांक 20.03.2015 को देखा पूनरावलोकन के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत जिस आदेश के लिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। उस आदेश के विरुद्ध माननीय न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी राजस्व न्यायालय जोधपुर के यहां अपील दायर की जा चुंकि है। और हमारे यह भी ध्यान में लाया है कि इस न्यायालय की पत्रावली राजस्व वाद संख्या 145/2012 किशनीबाई बनाम हीरदान आदेश दिनांक 20.03.2015 अपीलीय न्यायालय में प्रेषित कर दी गई है। इन तमाम तथ्यों से यह वखूवी स्पष्ट हो रहा है कि पूनरावलोकन का प्रार्थना पत्र इनफक्शस (प्रभावहीन) हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 आरटीएक्ट का खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैशल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।</p> <p style="text-align: right;">             09/05/2018            सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी            लूणा (जोधपुर) राज.         </p>	